

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद हापुड

पत्रांक : १०९५०-५५ / २०१५-१६

दिनांक : २६-०३-२०१६

प्रबन्धक

अर्वाचीन इण्टरनेशनल स्कूल, पबला रोड, निकट दिनेशनगर, पिलखुआ

जनपद हापुड

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इसके सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के सम्बद्ध में मैं अर्वाचीन इण्टरनेशनल स्कूल, पबला रोड, निकट दिनेशनगर, पिलखुआ को कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) हेतु दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक तीन वर्षों की अवधि के लिये औपचारिक मान्यता का दिया जाना सम्प्रेषित करता हूँ :—

1. मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं कर सकता।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पडोस के कमज़ोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी यह सन्नियम का पालन किया जायेगा।

4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिये विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।

5. समिति / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा—

(अ) बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,

(ब) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उसमें से किसी आधार पर।

7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:

(एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काषित नहीं किया जायेगा,

(दो) किसी भी बालक को शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा,

(तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है,

(चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण प निर्गत किया जायेगा,

(पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन,

(छ) अध्यापक निजी अध्यापन किया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

१

२

२६-३-१६

9. विद्यालय छात्रों ने नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनि ष्ट किया गया है।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।

11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम—1860 (अधिनियम संख्या—21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमिति प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12. विद्यालय किसी समूह या व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिये संचालित नहीं किया जाता है।

13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिये और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या ०९८५११०१९०५ (यू—डायस कोड) है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिये इस संख्यांक का उद्धृत करने का कष्ट करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ती को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हों को सुनिश्चित किया जाये।

17. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय—समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18. अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी किसी भी माध्यम से भविष्य में यह तथ्य संज्ञानित होता है कि यह मान्यता विद्यालय/प्रबन्धक द्वारा विभाग को तथ्यगोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व में ही कोई मान्यता प्रदान की गयी है तो यह मान्यता स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विभाग/सक्षम अधिकारी, विद्यालय प्रबन्धक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

भवदीय

००९८५११०१९०५
(एम०पी०वर्मी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद—हापुड़

पृष्ठां:

/2015–16

तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित—

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ।

3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।

4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ कि व समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण कर देख लें कि विद्यालय उपरोक्त प्रावधानों का सम्यक अनुपालन कर रहा है कि नहीं, यदि अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो तत्काल इस सम्बन्ध में आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करें।

5. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद—हापुड़